संख्या-36012/31/90-स्था0(अनु0जा0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
....
नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 91

कार्यालय ज्ञापन

विषय: द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल रिपोर्ट) की सिफारिशें- भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि वरीयता के आधार पर सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अति गरीब तबके को आरक्षण का लाभ प्रदान कराने तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के जो व्यक्ति फिलहाल किसी भी आरक्षण नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनको आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

2. (i) भारत सरकार में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सिविल पदों तथा सेवा की 27 प्रतिशत रिक्तियों में वरीयता सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अति गरीब तबकों के उम्मीदवार को दी जाएगी । यदि पर्याप्त संख्या में ऐसे उम्मीदवारों उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी ।

(ii) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं की 10 प्रतिशत रिक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग के व्यक्तियों, जो फिलहाल किसी भी आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के लिये आरक्षित होगी ।

(iii) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अति गरीब वर्गों अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के व्यक्तियों की, जो फिलहाल किसी भी आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, पहचान करने के निर्धारण के मानदण्ड अलग से जारी किये जा रहे हैं ।

3. दिनांक 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को उपर्युक्त उल्लेखित सीमा तक संशोधित माना जाए ।

ह0/-

(ए0के0 हरित)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।